न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–421/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00463)

1. गोपी उम्र 76 वर्ष,
2. छिगना उम्र 73 वर्ष,
3. लाखा, उम्र 69 वर्ष,
4. रामफूल उम्र 66 वर्ष, पुत्रान हरदेव, जाति माली निवासीयान गौड़ का बास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री ए.पी.सिंह, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का रूपाहेडीकलां ने एक रिपोर्ट इस आशय की नायब तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष पेश कि ग्राम गौड का बास की आराजी खसरा नम्बर 746 रकबा 0.56 हैक्टयर भूमि पर गोपी, छिगना, लाला, रामफुल पुत्रान हरदेव माली ने अतिक्रमण कर ज्वार, बाजरा, मूँग की काश्त बो रखी है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम कर अपीलान्ट की तामिल हेतु तारीख पेशी दिनांक 06.09.2007 नियत की गयी, खसरा नम्बर 746 के सीमा जोड़ अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि है, खसरा नम्बर साबिका नम्बर 176/1 थे जिस पर अपीलान्ट के पिता हरदेव का सन् 1960 से कब्जा चला आ रहा है, तहसीलदर चाकसू ने हरदेव को दिनांक 17.04.1969 को बेदखल करने के आदेश दिये, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स के पिता हरदेव ने अपील संख्या 361/1970 अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष पेश की जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर ने हरदेव की अपील स्वीकार कर विवादित भूमि के नियमन की कार्यवाही करने के आदेश दिये तत्पश्चात् अपीलान्ट के पिता हरदेव ने एक नियमित वाद प्रस्तुत किया जो डिक्री किया गया एवं निर्णय की प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन करने बाबत तहसीलदार चाकसू को दी गई जो पटवारी हल्का को भेज दी गई लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हो सका, नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 06.09.2007 को नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने तथा तीन–तीन माह का सिविल कारावास तथा शास्ती से दण्डित किये जाने के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना न्याय नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में यदि पटवारी के बयान रिकार्ड नही किये गये और पूर्ववर्ती अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है, तो न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा से अतिक्रमी को दण्डित नही किया जा सकता, उक्त दोनों तथ्यों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास का आदेश कानून के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2008 एवं नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2007 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का ने नियमानुसार रिपोर्ट नायब तहसीलदार को पेश की गई तथा अपीलार्थीगण पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2007 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2008 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त चारागाह भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किये जाने पर निर्णय दिनांक 21.09.2006 द्वारा अपीलार्थीगण को चारागाह भूमि से बेदखल के आदेश जारी हुई है उसके उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा उक्त चारागाह भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया गया है जिसके सम्बन्ध में नायब तहसीदार कोटखावदा द्वारा अपीलार्थीगण को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय दिनांक 06.09.2007 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई तथा अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य, प्रस्तुत नही किया है जिससे अपीलार्थीगण चारागाह भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित ना होते हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2008 एवं नायब तहसीलदार कोटखावदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2007 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.062022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।